

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि.

कार्यालय मेन्युअल
सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

अध्याय—17
अन्य उपयोगी जानकारीयां

पंजीकृत कार्यालय
पंचानन, पंचम तल, मालवीय नगर, भोपाल

अध्याय-17

अन्य उपयोगी जानकारीयां

- लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर ।
- सूचना प्राप्त करने के संबंध में
 - आवेदन पत्र (तथा सन्दर्भ के लिये एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)
 - शुल्क
 - सूचना आवेदन पत्रों पर किस तरह से मांगी जाये— कुछ टिप्स
 - सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया

प्रारूप

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ।

- 1— आवेदक का नाम पिता
- 2— पूरा पता/ई मेल/फेक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है —————
- 3— दूरभाष क्रमांक —————
- 4— आवेदन देने का दिनांक —————
- 5— कार्यालय का नाम —म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. भोपाल —————
- 6— चाही गई जानकारी का विवरण —वन संरक्षण अधिनियम 1980 की प्रति—————
- 7— क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति /प्रमाणित नमूना ।
- 8— आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस की फीस रुपये 10/- नगद/स्टाम्प बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं रसीद क्रमांक —————एवं दिनांक —————
- 8— आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं —----हां/नहीं यदि हां तो बीपीएल सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर
आवेदन कर्ता

टीप— यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्रों पर रुपये 10/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि डाक

टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें ।

पावती

- 1— आवेदन प्राप्त होने का दिनांक —————
- 2— आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
- 3— संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी —व्यय शाखा से————
- लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत दिनांक —————

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)

सूचना / अभिलेख प्राप्त करने के लिये निर्धारित शुल्क ।

1—आवेदन पत्र के साथ 10/— रु का आवेदन शुल्क नगद अथवा नानजुडिसियल स्टाम्प के रूप में लगाना अनिवार्य हैं। (बी.पी.एल. आवेदक से उक्त शुल्क देय नहीं है।)

2—प्रथम अपील शुल्क रु. 50/— तथा द्वितीय अपील शुल्क रु 100/— नगद अथवा नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जाना है (बी.पी.एल. आवेदक को उक्त शुल्क देय नहीं है।)

3— इसके साथ यह स्पष्ट यािा जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उप धारा 5 के तहत फ़लापी/डिस्क्रेट में जानकारी हेतु 50 रुपये प्रति डिस्क्रेट/फ़लापी आवेदक से वसूल की जावें।

4— कई विभागों व्दारा मुद्रित रिपोर्ट एवं अन्य सामग्री जानकारी प्रकाशित की जाती है ऐसे प्रकाशन के मूल्य विभाग व्दारा पूर्व से ही निर्धारित किये जाये तथा आवेदक से तदनुसार मूल्य वसूल किये जायें । जिन प्रकाशनों का पूर्व से ही मूल्य निर्धारित है उनके लिये आवेदक से निर्धारित मूल्य वसूल किया जायें । ऐसे प्रकाशन से उद्धरण की प्राप्ति हेतु जो ए-3/ए-4 साइज के पेपर पर उपलब्ध करानी हो तो प्रति पृष्ठ पैरा 1 के अनुसार 2 रुपये प्रति पृष्ठ आवेदक से वसूल किये जायें ।

- लोक प्राधिकरण व्दारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण— निरंक
- प्रमाण पत्रा,अनापत्ति प्रमाण पत्रा आदि का नाम व विवरण —निरंक
- लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में — निरंक
- लोक प्राधिकरण आदि व्दारा टेक्स लेने के संबंध में — निरंक
- लोक प्राधिकरण व्दारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन,कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन,आदि के सम्बन्ध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद /यूपीसीएल व्दारा दी जा सकती है) निरंक
- लोक प्राधिकरण व्दारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण — निरंक

अन्य विवरण प्राप्त करने हेतु अध्याय 8 में दिये गये अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है